

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: भोपाल, दिनांक /01/2017

प्रति,
रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य दंत परिषद्
संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल
प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल

विषय: दंत चिकित्सक के पंजीयन का नवीनीकरण।

संदर्भ: लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक..... दिनांक में शामिल सेवा क्रमांक
.....के संबंध में निर्देश

1. सेवा का उद्देश्य :- बी.डी.एस. पंजीयन करने के उपरांत डेंटिस्ट के पंजीयन का नवीनीकरण।
2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा :- रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य दंत परिषद्, 15 कार्य दिवस।
3. आवेदन पत्र एवं प्रारूप :- आवेदन ऑनलाइन ही एम्.पी.ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केंद्र/कियोस्क के माध्यम से किया जायेगा।
4. पात्रता की आवश्यक शर्तें :-
 - 1) आवेदक द्वारा भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से बी.डी.एस. कोर्स को उत्तीर्ण किया गया हो।
5. आवश्यक दस्तावेज :-
 - 1) नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र।
 - 2) पिछली नवीनीकरण की रसीद की छायाप्रति।
 - 3) निर्धारित शुल्क
6. पदाभिहित अधिकारी/एम्. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-
 - 6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 अनुसार आवेदन एम्.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंडिका-5 में दर्शाए गए दस्तावेज के साहित आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाइन ही पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
 - 6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में दी जावेगी।
 - 6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।
 - 6.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर , आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।

- 6.5 आवेदन करते समय यदि आवेदक आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस/OTP से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।
- 6.6 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में संलग्न प्रपत्र-5 में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
- 6.7 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जावेगा।
- 6.8 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।

7. लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

- 7.1 आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस सेवा केन्द्र/कियोस्क के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- 7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार नंबर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।
- 7.3 आनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा पावती पर अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।
- 7.5 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगा।
- 7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका-8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र परंतु समय-सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी।
- 7.7 यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से आर्थिक सहायता दिया जाना संभव नहीं है तो वह ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजिटल रिपोर्टरी वेबसाइट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही संपादित की जाएगी।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया-

- 8.1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाईन आवेदन एम् पी ऑनलाईन पोर्टल, कियोस्क एवं लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

- 8.2 एम् पी ऑनलाइन पर आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं लोक सेवा केंद्र में आवेदन कंडिका-7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8.3 आवेदन सर्वप्रथम संस्था (जहाँ से विद्यार्थी ने कोर्स किया है) वहाँ प्राप्त होगा, संस्था द्वारा अधिकतम 15 कार्य दिवस में परीक्षण/सत्यापन कर आवेदन रजिस्ट्रार, कौंसिल को प्रेषित करेगा।
- 8.4 परिषद कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण संबंधित कार्यवाही अधिकतम 10 कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी
- 8.5 दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्रता के अनुरूप पाए जाने की स्थिति में 05 कार्यदिवस में कार्यवाही पूर्ण की जा कर, आवेदक का डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- 8.6 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत बी.डी.एस. पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा।
- 8.7 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजिटल रिपोजिटरी वेबसाइट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

9— शुल्क -

- 9.1 बी.डी.एस. प्रैक्टिशनर के पंजीयन के नवीनीकरण हेतु फीस निम्नानुसार है :-

नाम	रूपये
एक वर्ष के लिये नवीनीकरण	200/-
पांच वर्ष के लिये नवीनीकरण	1000/-

- 9.2 उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त आवेदक को एम्.पी. ऑनलाइन (MP Online) पोर्टल शुल्क राशि 110/- रु. का भुगतान करना होगा।
- 9.3 लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क 30/- रूपये केंद्र संचालक को देना होगा।

10. अपील- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा:-

- i. आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर

अथवा

- ii. आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेगी-

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
26.1	बी.डी.एस. प्रैक्टिशनर के पंजीयन का नवीनीकरण	संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग	15 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्र.क्रमांक.

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

()
प्रमुख सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक /01/2017

()
प्रमुख सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग